(283)

प्र/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/01646

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

रामलाल तनय रामाऔतार पटेल निवासी ग्राम पटेहरा, तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक / निगरानीकर्ता

अधि० श्री सी.पी.मिश्रा
उपस्थित 09-3-18

बनाम

1— अवधेश
2— गणेश
3— महेश
4— मेवालाल

सभी के पिता मोलई नाई निवासी ग्राम पटेहरा तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

5— शासन म0प्र0

—— अना0गण / गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 25 / 01 / 2018 पारित द्वारा श्री मान् अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 जरिये प्रकरण कमांक 41 / निगरानी / अ—74 / 2013—14 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः—

1— यह कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 25 / 01 / 2018 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।

2— यह कि अपर जिलाध्यक्ष मऊगंज ने प्रकरण की वास्तविकता को जानने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए कि तहसील का प्रकरण मगाया ही नहीं गया यदि मगाया जाता वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती, बिना तहसील की फाइल का अवलोकन के आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

3— यह कि अनावेदक उपस्थित रहे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे इसलिए अनुपस्थित थे कि चोरी छिपे कार्यवाही करा लिये थे जो आदेश पूर्णतया निरस्त योग्य था, जिस कारण अनुपस्थित रहे अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सके।

(283)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक. II/निग0/रीवा/2018/01646 जिला रीवा

रामलाल पटेल/ अवधेश नाई वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0 मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/निगरानी/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25.01.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य